मुकदमा नम्बर........................ GCMS नम्बर .... उनवान.......................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हीरालाल / उमरावसिंह
19/6/24	में जिम्मेदारी निभाई अत: हैं पूर्ण हक प्राप्त है अत: जारी निषेधाज्ञा खारिज की जावे। पत्रावली अन्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26/6/24 को पेश हो। Sd/-
26/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी दौराने बहस विवादित आराजी ग्राम फतेपुरी कला तहसील बुहाना खाता स० 175, खसरा स० 1729/0.30, 1745/0.34, 1751/0.34, 1832/0.50 कुल खसरे 4 किता 1.48 है० वादी के पिता की खातेदारी की है। विवादित भूमि पुश्तैनी है प्रति स०1 के पूर्व विवादित भूमि प्रति० स०1 के पिता व वादी व प्रति० स० 2 व 3 के दादा फतेलाल की खातेदारी की थी। विवादित भूमि में वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। साथ ही प्रति० स० 1 वादी का पिता है वह विवादित भूमि के दिनांक 07/11/22 को ख०न० 1832 रकबा 0.50 है० में से 0.44 है० भूमि प्रतिवादी स० 4 को विक्रय पत्र बेचान कर दिया जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी अत: दिनांक 24/11/2022 को वादी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा, स्थाई की जावे। Sd/- वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी की इस भूमि का 1/2 हिस्सा अपनी बहन सरबती से प्राप्त हुआ है जो उसका स्वयं अर्जित रकबा है प्रतिवादी स०1 स्वयं 74 वर्ष का है तथा अप्रार्थी स० 2 के पुत्र कमी बेरोजगार है जबकि प्रार्थी एक पुत्र सरकारी सेवा में है, अप्रार्थी ने प्रार्थी को कस्बा फतेपुरी में दुकान करके दी तथा उसकी शादी अन्य सब खर्चे समय पर किये। अप्रार्थी पर लाखों का कर्जा है अत: उसने जमीन के केवल एक खसरे 1832/0.50 में से Sd/-

...म्बर........................ GCMS नम्बर .... उनवान........................ बनाम ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हीरालाल / उमरावसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
0.44 का विक्रय किया है अप्रार्थी ने हमेशा बचत की है जबकि प्रार्थी ने घरेलू आवश्यकताओं के कर्जे का भुगतान नहीं किया। अत: प्रार्थी की जारी TI खारिज करने हेतु निवेदन है। Sd/- उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। रिकार्ड व साक्ष्य पर मनन किया गया चूंकि उक्त सम्पत्ति से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी को बहन से प्राप्त हुआ है तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार खसरा 1832/0.50 के एक हिस्से का विक्रय किया जो कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बताया है चूंकि प्रार्थी भी अप्रार्थी की स० 1 का विधिक वारिसान है अत: इस स्थिति में खाता स० 175 के खसरा स० 1832/0.50 के दिनांक 24/11/2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है शेष रकबे पर जारी निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक स्थाई की जाती है। फैसला खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.19 10:58:25 IST
Reason: SelfAttested